

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या-1924/VII-A-1/2021/03(101)/2021
देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय संख्या-1875/VII-A-1/2021/03(101)/2021, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या-1875/VII-A-1/2021-03(101)/2021
देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2. (1) इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;

(च) "व्यक्ति" से भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा, चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश,

- डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;
- (झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक अभिप्रेत है;
- (ञ) "आबादी" से आवेदन की तिथि को कम से कम 10 परिवारों का समूह निवासरत हों, आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ट) "On site स्थापना" से नदी/गंधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;
- (ठ) "नदी" (Perennial river) से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह वर्षभर निरन्तर होता रहता अभिप्रेत है;
- (ड) बरसाती नदी, नाला एवं गंधेरा (Non-Perennial river) से ऐसे जल प्रवाह से है, जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है, अभिप्रेत है;
- (ढ) "नियमावली" से यथाप्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली अभिप्रेत है;
- (ण) "नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर "Highest flood level" अभिप्रेत है;
- (त) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत है;
- (थ) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (द) "निदेशक" से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (ध) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;
- (न) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम लि., टी.एच.डी.सी.लि., एन.एच. पी.सी., एन.टी.पी.सी., सी.पी.डब्लू.डी., पी.डब्लू.डी., यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है;
- (2) "शब्द और पद", जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड-अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय-I. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट

स्टोन क्रेशर
प्लांट/स्क्रीनिंग
प्लांट हेतु
आवेदन

3. (i)-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची-1 में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित छः प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
- आवेदन में प्लान्ट एवं भण्डारण हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant)/आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि के क्षेत्रफल को मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया हो, मानचित्र सहित प्रस्तुत की जायेगी। भण्डारण हेतु मानचित्र पर प्रदर्शित

क्षेत्रफल में एक समय में भण्डारित की जाने वाली अधिकतम उपखनिज की मात्रा का भी उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन शुल्क 4. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में रु. 10,000/- विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण 5. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में विज्ञप्ति जन-साधारण की सूचना हेतु आवेदक के व्यय पर प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति में आवेदक इकाई का नाम, पता व स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित होगा। विज्ञप्ति पर यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो प्रस्तावित प्लान्ट के निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आते हों तथा प्रस्तावित इकाई की स्थापना/संचालन से प्रभावित हों अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

यदि विज्ञप्ति के सापेक्ष आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रस्तर-6 में गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति सहित आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र मय गठित समिति की आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अग्रसारित किया जायेगा।

स्थल चयन समिति 6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :-

1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी सदस्य जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव

चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची-2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

दूरी के मानक 7. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे :-

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गंधेरा) के किनारे से	50 मी०	50 मी०
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5.	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

M

टिप्पणी :-

- (1) पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना हेतु Non-Perennial river के किनारे से 25 मीटर, नदी (Perennial river) से दूरी 50 मीटर तथा सरकारी वन से दूरी 25 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के मानकों के समान होंगे।
- (2) गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से निर्धारित क्षैतिज दूरी के मानकों के सापेक्ष मौके पर प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) आबादि से 300 मी० के अन्तर्गत स्थित परिवारों/भूस्वामियों की एन०ओ०सी०/अनापत्ति अपरिहार्य होगी।
- (4) आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

पर्यावरणीय
मानक

8. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
- (2) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट हेतु
न्यूनतम
क्षेत्रफल

9. इस नीति के प्रख्यापन के उपरान्त आवेदित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल, जो एक संहत खण्ड में हो, निम्नवत् होगा :-
(क) मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:- 0.75 है० ।
(ख) पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:- 0.10 है० ।
(ग) प्लांट हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, प्लांट, हरित पट्टिका, धर्मकांटा, ऑफिस एवं वाहन के आवागमन हेतु मार्ग के क्षेत्रफल को छोड़ने के पश्चात् अवशेष क्षेत्र में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण उपलब्ध/आवेदित क्षेत्रफल के अनुसार किया जायेगा।
(घ) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में प्लांट की वार्षिक कशिंग क्षमता की 1.5 गुना से अधिक की मात्रा का भण्डारण नहीं कर सकेगा।
(ङ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की वार्षिक कशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):- प्लांट की क्षमता (टन/घंटा) x स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10घंटा प्रतिदिन x 360 दिन।
(च) कच्चा माल (आर०बी०एम०) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

कच्चे माल की 10.
आपूर्ति एवं
उत्पादित माल
का विक्रय

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल के स्रोत को नोटराईज्ड शपथ-पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

उत्पादित माल का विक्रय विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट संचालक को उत्पादित माल के विक्रय की गयी मात्रा पर निर्धारित पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर एवं
स्क्रीनिंग प्लान्ट
की क्षमता

11. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में आवेदक द्वारा शपथ-पत्र पर घोषित की जायेगी।

(2) क्षमता का परीक्षण/प्रमाणीकरण निम्न विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा :-

क- महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी

ख- विद्युत वितरण निगम का जिला स्तरीय अधिकारी

ग-लोक निर्माण विभाग या अन्य अभियांत्रिकी विभाग का यांत्रिक अभियन्ता (Mechanical Engineer)

समिति द्वारा प्लांट का संचालन कर प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा तदनुसार प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

विशेषज्ञ समिति, प्रत्येक दो वर्ष में या शिकायत प्राप्त होने या प्लांट स्वामी के अनुरोध पर, प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग की क्षमता का परीक्षण कर आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक को उपलब्ध करायेगी।

अनुज्ञा शुल्क 12. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :-

क्र० सं०	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	रु० 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रु० 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रु० 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु० 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	रु० 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रु० 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रु० 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रु० 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

अनुज्ञा शुल्क इकाई की स्वीकृति के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति

13. (1) जिलाधिकारी एवं महानिदेशक की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति

सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं महानिदेशक को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त तथा स्थल पर प्लान्ट के स्थापना के उपरान्त उसका उपयोग प्रारम्भ होने पर उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/
स्क्रीनिंग प्लान्ट
अनुज्ञा देने हेतु
शर्तें

14. प्लान्ट संचालन हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा :-

- (1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष के भीतर प्लान्ट की स्थापना/संचालित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्लान्ट अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
- (3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (4) प्लान्ट के सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- (5) प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
- (6) प्लान्ट में छेड़छाड़ विरोधी (Tamper Proof) इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।
- (7) समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- (8) खनिजों का रु. 2.00 लाख से अधिक धनराशि का क्रय एवं विक्रय की कार्यवाही बैंक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ही किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।
- (9) प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी०सी०टी०वी० बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी. वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर ₹ 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

विनियमितीकरण 15.

- (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी, जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के 06 माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण हेतु आवेदन निर्धारित विनियमितीकरण शुल्क के साथ महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त विनियमितीकरण जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

विनियमितीकरण शुल्क नीति में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 01 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई-स्वन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा। निदेशालय द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई-स्वन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

नीति की घोषणा के 06 माह बाद ई-प्रपत्र "जे" केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

नवीनीकरण

16. स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण निम्नवत् किया जायेगा :-

- (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-3 में वर्णित अभिलेखों सहित किया जायेगा।
- (2) नवीनीकरण प्रस्ताव/आवेदन का स्थलीय निरीक्षण महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी एवं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी सहित संस्तुति सहित आख्या अनुसूची-4 जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश, जिलाधिकारी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु भण्डारण सहित स्वीकृत किया जायेगा।
- (3) प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क नवीनीकरण की स्वीकृति होने के उपरान्त ई-स्वन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा, जो नीति में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा।
- (4) पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानकों को छोड़कर अन्य मानकों को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण:

17. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-



1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन-प्रत्येक हेतु ₹0 2.00लाख।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-प्रत्येक हेतु ₹0 1.00 लाख।

- प्लान्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरण**
18. पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे प्लान्ट, जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अध्याय-II. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

- आवेदन**
19. प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची-5** में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय-2 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

- अनुज्ञा शुल्क**
20. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :-

₹0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु)
 ₹0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु)
 ₹0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु)
 ₹0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)

- आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण**
21. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

- स्थल चयन, मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति**
22. (1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।



- (2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क़श्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।
- (3) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क़ेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।
- (4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
- (6) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
- (7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।
परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।
- (8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।
- (9) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क़श्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

नवीनीकरण

23.

- (1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
- (2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नाम परिवर्तन/ 24.
भागीदारों के
नाम परिवर्तन/
/अनुज्ञा
हस्तान्तरण:

मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति, जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:- इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-
2. मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 25,000/-

अध्याय-III. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

- | | | |
|------------------|-----|---|
| आवेदन | 25. | हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा। |
| अनुज्ञा शुल्क | 26. | अनुज्ञा शुल्क रू0 25000/- |
| अनुज्ञा स्वीकृति | 27. | 1. जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जाँच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी।
हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। |
| नवीनीकरण | 28. | हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी। |
| अन्य शर्तें | 29. | (1) प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। |

- (2) प्लान्ट को ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (3) प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

नाम परिवर्तन/ 30.
भागीदारों के
नाम परिवर्तन/
/अनुज्ञा
हस्तान्तरण:

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-
2. रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन - प्रत्येक हेतु रू0 50,000/-

अध्याय-IV. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

- आवेदन 31. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची-7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
- आवेदन शुल्क 32. पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
- स्थल चयन समिति 33. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
- अनुज्ञा देने हेतु शर्तें 34. (क) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु न्यूनतम 0.20 एकड़ क्षेत्रफल आवश्यक होगा।
(ख) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, सार्वजनिक धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।
(ग) पूर्व से स्थापित/संचालित पल्वराईजर प्लांट पर दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगे।
(घ) प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to

establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ड) प्लांट स्वामी को ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अपरिहार्य होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति 35.

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगे।

नवीनीकरण

36. पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रु0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण:

37. पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु -रु. 50,000/-

विविध

38. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटको प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालकों को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा तथा हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट में प्रयोग हेतु क्रय किये गये उपखनिज (ग्रिट आदि) की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रु0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

39. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त

अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हाट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

- (2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- (3) स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (4) नये प्लांट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लांट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरुद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

अध्याय-व. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति :-

आवेदन 40.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना के सरकारी कार्यदायी संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

स्थल चयन समिति 41.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों से स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित स्थल की निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त की जायेगी :-

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रों के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची-8** में जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अनुज्ञा स्वीकृति 42.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज के भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा 05 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न टनलों/निर्माण स्थलों से निकलने वाले उपखनिज Muck में

से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियमानुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा) को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

मानक एवं
अन्य शर्तें

43. (1)

हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप में मान्य होगा।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2)

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम-1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(3)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing) के अन्दर स्थापित करेगा।

(4)

स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएँ।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट को कवर्ड शैड (Covered shed) के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर फब्यारे (Water sprinklers) लगाने होंगे।

(6)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(7)

संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।

(8)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह

कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

- (9) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (10) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार फब्बारे (Water sprinklers) की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (11) फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (12) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जाय। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (13) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) लिया जाना अपरिहार्य होगा।
- (14) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।

नीति का
स्पष्टीकरण 44.

इस नीति में किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,

(आर0.मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
अनुसूची-1

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-..... ।

2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....
 पता:-.....
 मोबाईल नं०:-.....
 ई-मेल आईडी:-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -
 जिला.....
 तहसील.....
 ग्राम.....
 खसरा संख्या
 क्षेत्रफल.....

4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ।

5- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति..... ।

6- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।

7- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।

8-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।

9-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रियता ।

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ।
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 14- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 15- आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति ।
- 16- स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति..... ।
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.. ।
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति..... ।
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति..... ।
- 23- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं ।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर ।

**स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण
आख्या का प्रारूप
(अनुसूची-2)**

1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-..... ।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-..... ।
3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -..... ।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..... ।

5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक..... ।
9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:-
10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... ।

11. प्रस्तावित संयंत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:-

क्र०सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	टिप्पणी
1.	सरकारी वन			
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से			
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गंधेरा) के किनारे से			
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि			
5.	आबादी से दूरी			

12. राजस्व विभाग की आख्या :-

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण:-

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	खसरा सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ख). आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोटराईज्ड शपथ पत्र:-

(ग). आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के संबंध में प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र.....
.....

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

13. वन विभाग की आख्या:-

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी:-

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सैंचुरी से दूरी:-

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:-

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-

1. (क) नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 में):-
.....

(ख) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन में)..... ।

(ग) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में)-

(घ) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):-.....
..... ।

2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

3 (क). आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नहीं, यदि की गई है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स..... ।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थदण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है तो पूर्ण विवरण :-

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:- ।
7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:- ।
8. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

(प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि)
वन विभाग,
सदस्य ।

(जिला खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
सदस्य सचिव ।

(उप जिलाधिकारी)
राजस्व विभाग,
अध्यक्ष ।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अनुसूची-3)।

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-..... ।

2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता:-.....

मोबाईल नं०-.....

ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल

4- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थापना की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्गत आदेश की प्रति ।

5- प्लांट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है ।

6- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मानचित्र की प्रति..... ।

7- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....
.....।

8- आवेदन शुल्क का विवरण (मूल प्रति सहित) :-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

9- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

क्र०सं०	स्वीकृत अवधि में प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रु०)

10-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.....।

11-यदि आवेदक एक व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता
.....।

12- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

13- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति।

14- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

15- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

16- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....
.....।

17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....
.....।

18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।

19- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने अथवा यदि अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन सम्बन्धी प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हो तो मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय आदेश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।

20- प्रचलित नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं०-6 व अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के अनुपालना के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।

- 21- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो तो, संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...
.....
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में अनुबन्ध की नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रति..... ।
- 23- पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति.....
..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण
आख्या का प्रारूप
(अनुसूची-4)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-..... ।
2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-..... ।
3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -..... ।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं०	क्षेत्रफल

4. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..... ।
5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

6. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... ।

7. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-

1. (क) नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं० 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है० मे):-
.....

(ख) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (ग) के अनुसार प्लांट परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु अवशेष क्षेत्रफल(है० मे):-

(ग) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अवशेष आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में).....

(घ) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में)-

(ङ) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (ङ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):-.....

2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट में Tamper Proof इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया है अथवा नहीं..... ।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के हैं अथवा नहीं..... ।
4. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।
5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है यदि है, तो पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति सहित..... ।
6. (क). स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरण:-..... ।
(ख). भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण ।
7. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
8. सी0सी0टी0वी0 संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।
9. विगत पाँच वित्तीय वर्षों में प्लांट स्वामी के द्वारा क्रय-विक्रय किये गये उपखनिज का विवरण:-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	प्लांट की स्वीकृत वार्षिक क्रशिंग क्षमता (टन में)	क्रय	विक्रय

10. पूर्व स्वीकृत अवधि में जमा किये गये पर्यावरणीय एवं खनिज सम्पदा शुल्क का विवरण:-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अवधि में प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रु0)

11. नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट संयंत्र (Equipment) में चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति..... ।
12. नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी0 ऊँची है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी ।
13. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स..... ।

15. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:-

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

1. स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट संयंत्र (Equipment) में चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति..... ।
2. स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
3. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट में धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
4. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट में Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने अथवा न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी।
5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/कन्वेयर बैल्ट आदि को covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी..... ।
6. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के हैं अथवा नहीं..... ।
7. सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है अथवा नहीं..... ।
8. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टीका का निर्माण किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।
9. सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की गयी है अथवा नहीं..... ।
10. फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की गयी है अथवा नहीं..... ।
11. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित की गयी है अथवा नहीं..... ।
12. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish जारी किये जाने की तिथि.... तथा अन्तिम Consent to Operate की तिथि..... ।
13. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
14. प्लांट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगायी जाने वाली अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(जिल खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप।
अनुसूची-5

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
 जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-..... ।

2- मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता:-.....

मोबाईल नं०:-.....

ई-मेल आईडी:-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला.....

तहसील.....

ग्राम.....

खसरा संख्या

क्षेत्रफल.....

4- प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ।

5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।

6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।

7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

धनराशि.....वर्ष.....सेतक ।

- 8- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 9-अवधि, जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
- 10-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ।
- 11- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 12-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 13-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रतियाँ या मेमोरैंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ।
- 14-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 15- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति ।
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 20- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का
प्रारूप।
अनुसूची-6

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
 जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पत्थराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट का नाम:-..... ।

2- हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता:-.....

मोबाईल नं०-.....

ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला.....

तहसील.....

ग्राम.....

खसरा संख्या

क्षेत्रफल.....

4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ।

5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।

6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।

7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....
 धनराशि.....वर्ष.....सेतक ।

8- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।

- 9- यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ।
- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ।
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 14- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 15- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति ।
- 17-आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 22- प्लांट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप।
अनुसूची-7

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
 जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- पल्वराईजर प्लांट का नाम:-..... ।
- 2- पल्वराईजर प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....
 पता:-.....
 मोबाईल नं०-.....
 ई-मेल आईडी-.....
- 3- आवेदित स्थल का विवरण -
 जिला.....
 तहसील.....
 ग्राम.....
 खसरा संख्या
 क्षेत्रफल.....
- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ।
- 5- प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।
- 6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक..... ।
- 7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....
 धनराशि.....वर्ष.....सेतक ।
- 8- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
- 9- यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ।

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
- 11- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
- 12- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ।
- 13- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 14- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
- 15- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ।
- 16- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
- 16- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति ।
- 17- अवैध भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति...
..... ।
- 20- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
..... ।
- 21 - आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...
- 22- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 23- प्लांट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 24- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं हेतु स्टोन केशर/ स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अनुसूची-8)

(03 प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पत्थराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....।
- 2- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....
पता:-.....
मोबाईल नं०:-.....
ई-मेल आईडी:-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

क्र० सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)।
- 5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।
- 6- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक.....।
- 7- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।
- 8- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
- 9- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति।
- 10- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा में परियोजनाओं एवं उनके मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति।

- 11- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
- 12- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ।
- 14- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति ।
- 15- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
- 16- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
- 17- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा में वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/ नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।
- 18- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 19- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
- 20- विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण स्थलों/टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 21- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं ।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर ।

आज्ञा से,

(आर0 मोनाक्षी सुन्दरम)
सचिव ।